


राजेन्द्र सिंह / ~~सुप्रीम कोर्ट~~ 10/2016
अपील नं. 10/2016

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|----------|---|--|
| 10/12/24 | <p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली बाकी तलब की दिनांक 24.1.25 को पेश हों। पत्रावली से पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p> | |
| 24.1.25 | <p>पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व शर्त पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के क्रम दोकर बाट तर्कीक तकमीन टागिबिन दफनर हो।</p> |  |

मध्य प्रदेश अधीनस्थ अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झन)